बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / NBPDCL–10 / 2019 / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत के ग्राम–राजापट्टी में एक अदद 2X5 एम०भी०ए० का विद्युत शक्ति उपकेंद्र के निर्माण हेतु 7.55 करोड़ (सात करोड़ पचपन लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति तथा इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में 7.55 करोड़ (सात करोड़ पचपन लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध मे।**

आदेश–स्वीकृत।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत के ग्राम–राजापट्टी में एक अदद 33 / 11 के०वी० 2X5 एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके लिए कुल अनुमानित लागत 7.55 करोड़ (सात करोड़ पचपन लाख) रूपये आकलित की गई है।

2. प्रस्तावित शक्ति उप केंद्र के निर्माण होने से गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत के ग्राम–राजापट्टी के आस–पास के क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी एवं विद्युत आपूर्ति के गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ AT & C Loss को कम किया जा सकेगा। साथ ही इस शक्ति उपकेन्द्र से कृषि हेतु डेडिकेटेड फीडर का निर्माण कर कृषि हेतु सिचाई के लिए भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

3. उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत के ग्राम–राजापट्टी में एक अदद 2X5 एम०भी०ए० का विद्युत शक्ति उपकेंद्र के निर्माण हेतु 7.55 करोड़ (सात करोड़ पचपन लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति तथा इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में 7.55 करोड़ (सात करोड़ पचपन लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. बजट मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0103 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना,विपत्र कोड–10–4801057890103 विषय शीर्ष–54.01–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448– स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048–नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

(

6. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में परियोजना के स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०/NBPDCL–10/2019 के पृष्ठ संख्या–06/टि0 पर दिनांक–30.07.2019 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०/NBPDCL–10/2019 पृष्ठ संख्या–08/टि0 पर दिनांक–16.08.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/NBPDCL–10/2019 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/NBPDCL–10/2019 2204 /पटना, दिनांक– 19/08/19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/8

सरकार के प्रधान सचिव।